



पत्रांक : कु0स0-2 B स0अ0/4098/06-488-प्र.अनु.-2015/2015,

दिनांक : 27 मई, 2015

सेवा में,

प्रबन्धक,  
प्रस्तावित बाबा ऋषिदेव सिंह महाविद्यालय,  
सराय दुलदुल, धर्मापुर कारो,  
बलिया।

विषय- स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत वी0एड0 पाठ्यक्रम में विभागाध्यक्ष एवं प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 20.05.2015 के संदर्भ में सूच्य है कि आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख, उपर्युक्त संदर्भित विषय के सम्बन्ध में चयन समिति की संस्तुति एवं प्रबन्ध समिति की स्वीकृति पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश संख्या-2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97, दिनांक 09 मई, 2000 एवं सहपठित शासनादेश संख्या-5699/सत्तर-2-2007-2(85)/97, दिनांक 11 जनवरी, 2008, शासनादेश संख्या-2218/सत्तर-2-2007-2(85)/97 दिनांक 23 अगस्त, 2011 तथा शासनादेश संख्या-968/सत्तर-2-2013-18(99)/2013 दिनांक 30 मई, 2013 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संविदा के आधार पर उक्त विभागाध्यक्ष एवं प्रवक्ताओं के लिए अधोलिखित अभ्यर्थियों को उनके सम्मुखांकित विवरण के अनुसार पाँच वर्ष के लिए नियुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान किया है। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि भविष्य में कोई त्रुटि पायी गयी तो उसके लिये महाविद्यालय प्रशासन पूर्णतः जिम्मेदार होगा। यदि ये चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

क्र०	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	विषय	शैक्षिक अर्हता	पद
1.	डॉ० सतीश चन्द्रा	श्री राम जी लाल	01.04.1976	राजशास्त्र	पी०एच०डी०	विभागाध्यक्ष
2.	श्री राजेश कुमार यादव	श्री वात्रूलाल यादव	02.02.1976	हिन्दो	नेट	प्रवक्ता वी०एड०
3.	श्री राजवन्त सिंह	श्री यशवन्त सिंह	05.08.1978	अर्थशास्त्र	नेट	प्रवक्ता वी०एड०
4.	श्री शैलेश यादव	श्री जनार्दन यादव	07.07.1983	इतिहास	नेट	प्रवक्ता वी०एड०
5.	श्री रवि रंजन सिंह	श्री परशुराम सिंह	21.07.1982	रसायन विज्ञान	नेट	प्रवक्ता वी०एड०
6.	श्री राकेश कुमार यादव	श्री राम यज्ञ यादव	12.02.1990	आचार्य	नेट	प्रवक्ता वी०एड०
7.	श्री छोटे लाल नाविक	श्री ररई राम नाविक	01.09.1978	राजनीतिशास्त्र	नेट	प्रवक्ता वी०एड०
8.	श्री इन्द्रजीत सिंह	श्री धुरपत सिंह	25.12.1987	एम०एस०सी० गणित	नेट	प्रवक्ता वी०एड०

अतः उपर्युक्त को शासनादेश के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी के गूल शैक्षणिक अभिलेख आदि देखकर नियुक्ति पत्र निर्गत करने का कष्ट करें। नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र (अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के रवइस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ सहित) की एक प्रति अनुमोदित विभागाध्यक्ष एवं प्रवक्ताओं को एवं एक प्रति अन्य अभिलेख सहित कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी को पत्र प्राप्त के 15 दिन के अन्दर उपलब्ध करायें। इसके साथ ही यह भी सूच्य है कि नियुक्ति पत्र एवं अनुबन्ध पत्र में अध्यापकों को दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो जिसकी एक प्रति महाविद्यालय में सुरक्षित रखी जाय। अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्द्रीव्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय तथा वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय। शासनादेश की शर्तों के अनुसार ही महाविद्यालय के प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय की स्वीकृति के उपरान्त संविदा नवीनीकृत की जा सकेगी।

भवदीय,

(सुभाष चन्द्र वर्मा)  
सहायक कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. माननीय कुलपति जी-सूचनार्थ।
2. कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
3. परीक्षा नियंत्रक, म०गा०काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

(सुभाष चन्द्र वर्मा)  
सहायक कुलसचिव



पत्रांक : कुशा-2 B शाओ/5644/06-488-प्र.अनु.-2015/2015, दिनांक : 30 नवम्बर, 2015.

सेवा में,

प्रबन्धक,  
बोबा त्रिपिदेव सिंह महाविद्यालय,  
शराय दुलदुल, धर्मापुर कारो,  
बलिया।

विषय-स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम में प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 28.10.2015 के संदर्भ में सूच्य है कि आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख, उपर्युक्त संदर्भित विषय के सन्दर्भ में चयन समिति की संस्तुति एवं प्रबन्ध समिति की स्वीकृति पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश संख्या-2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97, दिनांक 09 मई, 2000 एवं सहपठित शासनादेश संख्या-9699/सत्तर-2-2007-2(85)/97, दिनांक 11 जनवरी, 2008 तथा शासनादेश संख्या-2218/सत्तर-2-2007-2(85)/97 दिनांक 23 अगस्त, 2011, शासनादेश संख्या-968/सत्तर-2-2013-18(99)/2013 दिनांक 30 मई, 2013 तथा शासनादेश संख्या-1010/70-3-2015-बी०एड० (05)/2014 दिनांक 15 जून, 2015 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संविदा के आधार पर उक्त प्रवक्ताओं के लिए अधोलिखित अम्बर्थियों को उनके सम्मुखान्त विवरण के अनुसार प्रौढ वर्ष के लिए नियुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान किया है। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि भविष्य में कोई त्रुटि पायी गयी तो उसके लिये महाविद्यालय प्रशासन पूर्णतः जिम्मेदार होगा। यदि ये चयनित अम्बर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

क्र०	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	विषय	शैक्षिक अर्हता	पदनाम
1.	श्री सुधीर कुमार सिंह	श्री सुधीर सिंह	02.08.1978	प्रवक्ता बी०एड०	अध्येजी	प्रवक्ता बी०एड०
2.	श्री सुशील कुमार	श्री मुन्नी लाल	14.03.1980	प्रवक्ता बी०एड०	दर्शनशास्त्र	प्रवक्ता बी०एड०
3.	श्री बीरेश प्रसाद सिंह	श्री जगदीश प्रसाद सिंह	14.10.1988	प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा	बी०पी०एड०	प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा
4.	श्री अजीत कुमार	श्री अर्जुन प्रसाद	12.10.1990	प्रवक्ता संगीत	एम०म्यूज०	प्रवक्ता संगीत
5.	श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप शाही	श्री चन्द्रमौली प्रताप शाही	15.10.1984	प्रवक्ता चित्रकला	एम०एफ०ए०	प्रवक्ता चित्रकला

अतः उपर्युक्त को शासनादेश के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व सम्बन्धित अम्बर्थी के मूल शैक्षणिक अभिलेख आदि देखकर नियुक्ति पत्र निर्गत करने का कष्ट करें। नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र (अम्बर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ सहित) की एक प्रति अनुमोदित प्रवक्ता को एवं एक प्रति अन्य अभिलेख सहित कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी को पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर उपलब्ध करायें। इसके साथ ही यह भी सूच्य है कि नियुक्ति पत्र एवं अनुबन्ध पत्र में अध्यापकों को दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो जिसकी एक प्रति महाविद्यालय में सुरक्षित रखी जाय। अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्द्रीव्यूटरी प्रॉविडेंट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय तथा वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय। शासनादेश की शर्तों के अनुसार ही महाविद्यालय के प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय की स्वीकृति के उपरान्त संविदा नवीनीकृत की जा सकेगी।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- माननीय कुलमति जी-सूचनार्थ।
- परीक्षा नियंत्रक, मा०गा०काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

कुलसचिव

मंजू देवी - जामा संख्या - 71290 20 1000 873,

श्रीममंडपास - जामा संख्या - 71290 20 1000 8575

---

मंजू देवी.

राज्य पर अनुमोदन पर

---

---



# जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया

## Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

(98)

पत्रांक जे०एन०सी०यू०/सा०प्र०(आर० कैम्प)/1186/2020

दिनांक 13.02.2020

सेवा में,

प्राचार्य,

बाबा ऋषिदेव सिंह महाविद्यालय,

धर्मापुर, कारो, बलिया

विषय:-स्वयित्तापोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत भूगोल एवं शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०ए० विषयों में चयनित प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 13.11.2019 के संदर्भ में सूच्य है कि आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख, उपर्युक्त संदर्भित विषय स्नातक स्तर पर भूगोल एवं शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०ए० के संदर्भ में चयन समिति की संस्तुति एवं प्रबन्ध समिति की स्वीकृति पर विद्यारोपरांत कुलपति महोदय ने शासनादेश संख्या-2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97, दिनांक 09 मई, 2000 एवं सहपठित शासनादेश संख्या-5699/सत्तर-2-2007-2(85)/97, दिनांक 11 जनवरी, 2008, शासनादेश संख्या-2218/सत्तर-2-2007-2(85)/97 दिनांक 23 अगस्त, 2011 तथा शासनादेश संख्या-888/सत्तर-2-2013-18(99)/2013 दिनांक 30 मई, 2013 के आलोक में स्वयित्तापोषित योजनान्तर्गत संविदा के आधार पर उक्त प्रवक्ताओं के लिए अधोलिखित अम्यर्थियों को उनके सम्मुखांकित विवरण के अनुसार पाँच वर्ष के लिए नियुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान किया है। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि भविष्य में कोई त्रुटि पायी गयी तो उसके लिये महाविद्यालय प्रशासन पूर्णतः जिम्मेदार होगा। यदि ये चयनित अम्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

क्र०	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक अर्हता	पदनाम	आधार कार्ड नम्बर
1	डॉ० सोमनाथ कुशवाहा	श्री राधा कृष्ण कुशवाहा	20.06.1997	पी०एच०डी०	प्रवक्ता भूगोल	831019152563
<b>शिक्षा संकाय-बी०ए०</b>						
1	श्री राजन कुमार	श्रीकान्त मिश्रा	30.09.1990	नेट	प्रवक्ता बी०ए०	242554591454
2	श्रीमती मंजू देवी	श्री विरेन्द्र नाथ शुक्ला	20.02.1979	नेट	प्रवक्ता बी०ए०	483409854984
3	श्री प्रेम चन्द्र यादव	श्री रामनन्द यादव	30.01.1970	नेट	प्रवक्ता बी०ए०	990406065831
4	श्री चंदीप कुमार शर्मा	स्व० कृपाशंकर शर्मा	10.08.1985	नेट	प्रवक्ता बी०ए०	514890508135

अतः उपर्युक्त को शासनादेश के आलोक में अनुमोदन पत्र निर्गत करने से पूर्व सम्बन्धित अम्यर्थी के मूल शैक्षणिक अभिलेख आदि देखकर नियुक्ति पत्र निर्गत करने का कष्ट करें। नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र (अम्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ सहित) की एक प्रति अनुमोदित प्राचार्य एवं प्रवक्ता को तथा एक प्रति अन्य अभिलेख सहित कुलसचिव, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया को पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर उपलब्ध करायें। इसके साथ ही यह भी सूच्य है कि नियुक्ति पत्र एवं अनुबन्ध पत्र में अध्यापकों को दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो जिसकी एक प्रति महाविद्यालय में सुरक्षित रखी जाय। अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय तथा वेतन मुगतान बैंक के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय। शासनादेश की शर्तों के अनुसार ही महाविद्यालय के प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय की स्वीकृति के उपरान्त संविदा नवीनीकृत की जा सकेगी।

भवदीय,

(संजय कुमार)

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. माननीय कुलपति जी को सादर सूचनार्थ।

कुलसचिव

पता:-शहीद स्मारक, निकट सुरहा ताल, जिला-बलिया, उ०प्र० पिन कोड:-277001

Address:- Saheed Smarak, Near-Surha Taal, Dist-Ballia, U.P. Pin Code-277001

Website:-www.incu.ac.in E-mail :- incuballia@gmail.com